Me Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Ħ. 115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 12, 2010/फाल्गुन 21, 1931

No. 115

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12, 2010/PHALGUNA 21, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2010

सर,का.,नि, 190(अ).—धारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अरुणायल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सभी संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेक (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2010 कहलाएंगे।
 - (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविच्छियों के स्थान पर निज्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र

 संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग के अंतर्गत 183 वरिष्ठ ड्यूटी पद पदों की तैनाती की संख्या न्यूनतम सेवायधि (वयों मे) व्यक्त प्रदेश सरकार के अंतर्गत पट 37

		(वर्षां मे)
अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत पद	37	
सरकार के मुख्य सचिव	St.	-
विकास आयुक्त	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (पी.हब्ब्यू डी./ आर.डब्ल्यू डी.)	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (गृह)	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा)	31	2
आयुक्त-सह-सचिव (बिजली और जल संसाधन)	1	2
आयुक्त-सह-सचिव (कार्मिक)	1	2
आयुक्त-सार-सचिव (स्वास्थ्य)	1	2
सचिव (उद्योग)	1	2
सचिव (आपूर्ति और परिवहन)	1	2
सचिव (ग्रामीण विकास)	1	2
मुख्य मंत्रं, के सचिव	11	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
पंजीयक, सहकारी समिति	1	2
निदंशक (परिवहन)	1	2
निदेशक, नागरिक आपृतिं	1	2

निदेशक (शिक्षा)	1	2	आयुक्त-सह-सच्छि (धित्त)	1	2
निदेशक (स्वास्थ्य सेवा)	1	2	आयुक्त-सह-सचिव (पांत परिवहन और	1	2
स्थानिक आयुक्त	1	2	परिवहन)	20	
उपायुक्त (जिला)	17	2	उप राज्यपाल के सचिव	1	2
गोवा सरकार के अंतर्गत पद	18		उपायुक्त (जिला)	3	2
मुख्य सचिव	1	-	सचिव (कार्मिक)	1	2
प्रधान सचिव	1	2	सचिव (पर्यटन)	1	2
आयुक्त/सचिव (बित्त)	1	2	सचिव (स्वास्थ्य)	1	,
आयुक्त/सचिव (शिक्षा और स्वास्थ्य)	1	2	सचिव (शिक्षा)	4	,
रान्यपाल के सचिव	1	2	सचिव (आर.डो./एल.एस.जो. और	-	2
मुख्य मंत्री के सचिव	1	2	पो.डब्स्यू.डी.)	3.9	- 4
सरकार के सचिव	4	2	स्थानिक आयुक्त	4	2
आयुक्त (बैट)	1	2	घंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत पद	9	-
निदेशक (उद्योग और खान)	1	2	प्रशासक के सलाहकार, चण्डीगढ	24	257
कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट	2	2	सचिव (गृह)	Į.	-
आयुक्त, उत्पाद शुल्क	1	2	सचिव (वित्त)	ď	2
निदेशक (शिक्षा)	1	2			2
निदेशक (पर्यटन)	1	2	उपायुक्त (जिला)	- 3	2
श्यानिक आयुक्त	1	2	संयुक्त सविव (वित्त)	1	2
मिजोरम सरकार के अंतर्गत पद	29		. सचिव	2	2
पुख्य सचिव	1		अपर सचिव	1	2
विकास आयुक्त	3	2	अपर उपायुक्त	1	2
आयुक्त और सचिव (वित्त)	3	2	दमन दीव/दादरा तथा नागर हवेली	5	
आयुक्त और सचिव (राजस्य)	1	2	प्रशासन को अंतर्गत पद		
आयुक्त और संचिव (गृह)	1	2	विकास आयुक्त	1	-
आयुक्त और मचिब (स्वास्थ्य और परिवार	1	2	विस सचिव	31	2
कल्याण)			कलेक्टएजिला मजिस्ट्रट	3	2
आयुक्त और सचिव (शिक्षा)	1	2	(दमन, दीव और दादरा और नागर हथेली)		
प्रचिव	4	2	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के	56	
राज्यपाल के सचिव	1	2	अंतर्गत पद		
पुख्य मंत्री कं स चिव	1	2	सरकार के मुख्य सचिव	1	
रंजीयक, सहकारी समिति	1	2	वित्त सचिव	1	2
विशंप सचिव	3	2	प्रधान सर्विव (गृह)	83	2
निदेशक (खाद्य और आपृति)	1	2	प्रधान सचिव (वित)	1	2
निदेशक (उद्योग)	1	2	प्रधान सचित्र (यू.डी.)	1	2
निदेशक (शिक्षा)	1	2	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और परिवार	1	2
उपायुक्त (जिला)	8	2	कल्याण)		
स्थानिक आयुक्त	1	2	प्रधान सचिव (पी.डब्ल्यू डो./एल. एंड बी.)	1	2
अंडमान और निकोबार प्रशासन के	14		प्रधान सचिव (परिवहन)	1	2
अंतर्गत पद			प्रधान सर्विव (शिक्षा)	1	2
मुख्य सचिव	1	-	अध्यक्ष, डी.एस.एस एस.ची.	1	2
विकास आयुक्त	1	2	एल, जी. के प्रधान सचिव	- 1	2

सी. एम. के प्रधान संचिव	3	2	विशेष सचिव (एन.सी.आर.)	2
आयुक्त-सह-सचिव (पर्यावरण और	1	2	विशेष सचिव (पृ.डी.)	2
वन तथा गैर-परम्परानत ऊर्जा)			विशेष सचिव (पी. डब्ल्यू. डॉ.)	2
आयुक्त-सह-सचिव (पर्यटन, संस्कृति,	1	2	उप राज्यपाल के विशेष सचिव	2
पुरातत्त्व और अकादमी)			निदेशक, महिला एवं बाल विकास ।	2
आयुक्त और सचिव (विकास)	1	2	लक्षद्वीप प्रशासन के अंतर्गत पद 2	-
आयुक्त और सचिव (उद्योग)	1	2	विकास आयुक्त ।	1220
आयुक्त और सचिव (खाद्य और आपूर्ति)	1	2	कलेक्टर-सक-जिला मजिस्ट्रेट	2
आयुक्त और समिव (योजना और अवसंरचना)	1,	2	पुदुच्चेरी सरकार के अंतर्गत पद 13	*
आयुक्त और सचिव (जल और संसाधन)	1	2	मुख्य सचिव	-
ग्रदेशिक आयुक्त	1	2	सचिव (योजना) सह-विकास आयुक्त ।	2
नदेशक, सतर्कता	1	2	आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा और कल्याण) ।	2
नेदेशक, शिक्षा	1	2	आयुक्त-सह-सचिव (वित्त) ।	2
प्रायुक्त (व्यापार और कर)	1	2	सरकार के सचिव	2
गायुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य और	1	2	स्थानिक आयुक्त ।	2
परिवार कल्याण)		-	उप-राज्यपाल के सचिव ।	2
प्रायुक्त-सह-स चिव (टी.टी. ई)	1	2	मुख्य मंत्री के सचिव	2
आयुक्त-सह-सचिष (जी.ए.डी. और	1	2	क्लेक्टर 2	2
ए.आर.)			 संयुक्त एजीएमयूटी संवर्ग के अंतर्गत विश्व इ्यूटी पर 	183
आयुक्त-सह-सचिष (सामाजिक कल्याण और महिला और बात विकास)	1	2	 केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्ज उपर्युक्त मद । के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं 	73
आयुक्त और सचिब (संवा और प्रशिक्षण)	1	2	 राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्ज उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत 	45
गयुक्त (उत्पा द शुरूक और मनोरंजन)	1	2	से अधिक नहीं	
गयुक्त (श्रम)	1	2	 प्रशिक्षण रिजर्व उपयुक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत 	6
वंशेष आयुक्त (परिवहन)	1	2	से अधिक नहीं	
वेशेष आयुक्त (ज्यापार और कर)	2	2	 छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपयुंका मद । के 	
नुख्य निर्वाचन अधिकारी	1	2	16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	
- महानिरीक्षक, पंजी यन (राजस्व विकास)	1	2	 भारतीय प्रशासनिक संवा (भर्ती) नियमावली, 1954 	102
जीयक, सहकारी समिति	1	2	के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्तित द्वारा भरे जाने वालं	
नदेशक (प्रशिक्षण और सकनीकी शिक्षा)	1	2	पद उपर्युक्त भद 1, 2, 3 और 4 के 33.3 प्रतिशत	
नदेशक (उच्च शिक्षा)	1	2	से अधिक नहीं	
ती.ई.ओ. (आपदा प्र बं धन)	1	2	 सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद 	235
उपायुक्त (जिला)	5	2	(भर 1+2+3+4+5-6)	
नंदेशक, पशिक्षण (यू.टी.सी.एस.)	1	2	कुल प्राधिकृत पद संख्या	337
नेदेशक, सामाजिक कल्याण	1	2	टिप्पणी (1): इस अधिनियम के जारी होने से पूर्व, एजीए	मयूटी क
नदेशक, कृषि विपणन	1	2	बुल प्राधिकृत संख्या 245 थी ।	
वेशेष सचिव (वित)	1	2	[स्री 11031/03/2009-अ.भा. से	
अपर निदेशक, शिक्षा (प्रशासन)	1	2	हरीश चन्द्र गय, डेस्क	
वेशेष सचिव (योजना और निगरानी और	1	2	टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22-10-19	
आई.एस.एच.एस., स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	57	Til.	सं. का. नि. आ. 3350 द्वारा भारत के र प्रकाशित किए गए थे । एजीएमयूटो संवर्ग	के संबंध
विशेष सचिव (सेवा)	1	2	में विनियम निम्नलिखित सा.का.नि. संख्य संशोधित किए गए थे :	शंभी द्वार

तारीख	संसा का नि.	इ.सं.
5-10-1974	1065	1.
25-1-1975	92	2.
6-4-1976	286(31)	3.
8-10-1977	1323	4.
28-10-1978	1280	5.
11-8-1979	1037	6.
8-9-1980	529(अ)	7.
28-2-1981	229	8.
24-5-1983	446(31)	9.
17-11-1984	775(34)	10
13-12-1986	1069	11.
26-3-1988	190	12.
28-12-1988	1224(31)	13.
4-8-1990	479	14.
2-7-1994	309	15.
31-3-1995	319(34)	16.
31-12-1997	739(34)	17.
9-10-2004	339	18.
8-02-2008	16(3I)	19.
24-03-2009	188(34)	20.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2010

G.S.R. 190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Governments of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and all Union Territories, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These Regulations shall be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted namely:—

"ARUNACHAL PRADESH-GOA-MIZORAM-UNION TERRITORIES

Senior Duty Posts under the Joint 183
 AGMUT Cadre

	Number	Minimum Tenure of Posting
MEAN W SHART AND	of Posts	(in years)
Posts under the Government of Arunachal Pradesh	37	
Chief Secretary to the Government	3	_
Development Commissioner	1	2
Commistioner -cum-Secretary (PWD/RWD)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Home)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Education)	1	2
Commissioner-cum-Secretary	1	2
(Power & Water Resources)		
Commissioner -cum-Secretary (Perso	Control Street Control	2
Commissioner-cum-Secretary (Heal	th) I	2
Secretary (Industries)	1	2
Secretary (Supply & Transport) Secretary (Rural Development)	- 1	2
Secretary to Chief Minister	- 4	2
Secretary to Governor	1	2
Registrar, Cooperative Societies	1	2
Director (Transport)	1	2
Director of Civil Supplies	1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Director (Education)	1	2
Director (Health Services)	- 1	2
Resident Commissioner	1	2
Deputy Commissioner (Districts)	17	2
Posts under the Government of Go	18	
Chief Secretary	1	-
Principal Secretary	1	2
Commissioner/Secretary (Finance)	1	2
Commissioner/Secretary (Education & Health)	1	2
Secretary to Governor	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Secretaries to Government	4	2
Commissioner (VAT)	2	2
Director of Industries and Mines	- 5	2
Collector/District Magistrate	2	
Commissioner of Excise	1	2
	i	2
Director (Education)	- 17	
Director (Tourism)	1	2
Resident Commissioner	1	2

Posts under the Government of Mizoram	29		Collector/District Magistrate	3	2
Chief Secretary .	29		(Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli		
Development Commissioner	-	2	Posts under the Government of NCT of Delhi	56	
Commissioner & Secretary (Finance)	1	2	Chief Secretary to Government	10	
Commissioner & Secretary (Revenue)	1	2	Financial Commissioner		_
Commissioner & Secretary (Home)	1	2		10	2
Commissioner & Secretary (Health &		7	Principal Secretary (Home)	1	2
Family Welfare)	1	2	Principal Secretary (Finance)	1	2
Commissioner & Secretary (Education)	1	2	Principal Secretary (UD)	1	2
Secretaries	4	2	Principal Secretary (Health & F.W.)	1	2
Secretary to Governor	1	2	Principal Secretary (PWD/L&B)	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2	Principal Secretary (Transport)	1	2
Registrar, Cooperative Societies	1	2	Principal Secretary (Education)	1	2
Special Secretaries	3	2	Chairman, DSSSB	1	2
Director (Food & Supply)	1	2	Principal Secretary to LG	1	2
Director (Industries)	1	2	Principal Secretary to CM	1	. 2
Director (Education)	1	2	Commissioner-cum-Secretary	1	2
Deputy Commissioners (Districts)	8	2	(Environment and Forest & Non-		-
Resident Commissioner	. 1	2	Conventional Energy)		
Posts under Andaman & Nicobar	14		Commissioner-cum-Secretary	1	2
Administration			(Tourism, Culture, Archaeology and		
Chief Secretary	1	-	Academics)		
Development Commissioner	1	2	Commissioner & Secretary	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	1	2	(Development)		
Commissioner-cum-Secretary (Shipping	1	2	Commissioner & Secretary (Industries)	1	2
and Transport) Secretary to Lt. Governor	-	2	Commissioner & Secretary (Food & Supply)	1	2
Deputy Commissioner (Districts)	1	2	Commissioner & Secretary (Planning &	23	2
Secretary (Personnel)	,	2	Infrastructure)		*
Secretary (Tourism)	i	2	Commissioner & Secretary (Water &	1	2
Secretary (Health)	1	2	Resources)		
Secretary (Education)	1	2	Divisional Commissioner	1	2
Secretary (RD/LSG & PWD)	1	2	Director, Vigilance	1	2
Resident Commissioner	1	2	Director of Education	1	2
Posts under Chandigarh	9	-	Commissioner (Trades and Taxes)	1	2
Administration	700		Commissioner-cum-Secretary	1	2
Advisor to the Administrator,	1	-	(Health & FW)	88	- 5
Chandigarh			Commissioner - cum-Secretary (TTE)	1	2
Secretary (Home)	1	2	Commissioner-cum-Secretary	1	2
Secretary (Finance)	1	2	(GAD & AR)	100	100
Deputy Commissioner (Districts)	1	2	Commissioner-cum-Secretary (Social	1	2
Joint Secretary (Finance)	1	2	Welfare and Women & Child		
Secretaries	2	2	Development)		
Additional Secretary	1	2	Commissioner & Secretary (Services &	1	2
Additional Deputy Commissioner	1	2	Training)		
Posts under Daman. Diu/Dadra &	5		Commissioner (Excise & Entertainment)	I	2
Nagar Haveli Administration			Commissioner (Labour)	1	2
Development Commissioner	1	-	Special Commissioner (Transport)	1	2
Finance Secretary	1	2	Special Commissioner (Trade & Taxes)	2	2

337

١.

3.

4

5.

THE GA	ZETTE	OF IN
Chief Electoral Officer	1	2
Inspector General of Registration (Revenue Department)	1	2
Registrar Cooperative Societies	1	2
Director (Training & Technical Education)	1	2
Director (Higher Education)	1	2
CEO (Disaster Management)	1	2 2 2
Dy. Commissioner (Districts)	5	2
Director of Training (UTCS)	1	
Director of Social Welfare	1	2
Director, Agricultural Marketing	1	2
Special Secretary (Finance)	1	2
Additional Director of Education (Admn.) 1	2
Special Secretary (Planning & Monitoring and ISHM, Health & F.W.)	1	2
Special Secretary (Services)	1	2
Special Secretary (NCR)	1	2 2 2 2
Special Secretary (UD)	1	2
Special Secretary (PWD)	1	2
Special Secretary to Lt. Governor	1	2
Director, Women & Child Development	1	2
Posts under Lakshadweep Administration	2	
Development Commissioner	1	+
Collector-cum-District Magistrate	1	2
Posts under the Government of Puducherry	13	
Chief Secretary	1	
Secretary (Planning)-cum-Development Commissioner	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Education and Welfare)	1	2
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	1	2
Secretaries to Government	4	2
Resident Commissioner	1	2 2 2 2
Secretary to Lt. Governor	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Collectors	2	2
Senior Duty Posts under the Joint AGMUT Cadre		183
Central Deputation Reserve not exceed of Item I above	ing 40%	73
State Deputation Reserve not exceedin 25% of Item I above	В	45
Training Reserve not exceeding 3.5% of Item 1 above	of	6
Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	e	30

6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8	102
	of the Indian Administrative Service	
	(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding	
	33.3% of Items 1.2.3 & 4 above	

7. Posts to be filled up by Direct Recruitment 235 (Items 1+2+3+4+5-6) TOTAL AUTHORISED STRENGTH

Note 1: Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of AGMUT Cadre was 245.

[F. No. 11031:03/2009-AIS-II-A] HARISH CHANDRA RAI, Desk Officer

Note 2: The principal regulations were published in the Gazette of India vide S.R.O. No. 3350, dated 22-10-55. The Regulation in respect of AGMUT Cadre was amended vide following G.S.Rs. :

S. No.	G.S.R. Nos.		Date
1.	1065		5-10-74
2	92		25-1-75
3.	286(E)		6-4-76
4.	1323		8-10-77
5.	1280		28-10-78
6.	1037	30	11-8-79
7.	529(E)		8-9-80
8.	229		28-2-81
9.	446(E)		24-5-83
10.	775(E)		17-11-84
11.	1069		13-12-86
12	190		26-3-88
13.	1224(E)		28-12-88
14.	479		4-8-90
15.	309		2-7-94
łć.	319(E)		31-3-95
17.	739(E)		31-12-97
18.	339		9-10-04
19.	76(E)		8-2-2008
20.	188(E)		24-3-2009

अधिसृचना

नई दिल्ली, 12 मार्थ, 2010

सा.का.नि. 191(अ),--अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61), की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार अरुणाचल प्रदेश, गोबा,

,जारम और सभी संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की सहमति से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगं और संशोधन करने के लिए एतद्रहारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :---

- (1) वे नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियमावली, 2010 कहलायेंगे ।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (बंतन) नियमावली, 2007 ŭ -
- (क) तालिका के "राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ट वंतनमान के ऊपर के वंतन वाले पदों की अनसची (I-भाग क में " प्रथम कॉलम में 'अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र' प्रविष्टि और इसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

अरुणाचल प्रदेश-गोवा-पिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत पर

सरकार के मख्य सचिव 80000 रु. (नियत) विकास आयुक्त एक.ए.ओ. वेतनमान -67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रू. आयुक्त-सह-सचिव (पी.हब्ल्यु.ही./ पी.वी.-4 + जी.पी. रू. 10000 आर.डब्स्य.ही.) आयुक्त-सह-सचित्र (वित्त) पी.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000 आयुक्त-सह-सचिव (गृह) पी.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000 आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा) पी.बरे.-4 + जो.पी. रू. 10000 आयुक्त-सह-सचिव (विजली और पी.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000 जल संसाधन) आयुक्त-सह-सचिव (कार्मिक) पो.ची.-4 + जी.पो. रू. 10000 पी.बी.-4 + जो.पी. रू. 10000. आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य)

गोखा सरकार के अंतर्गत पट

मुख्य सचिव 80000 रु. (नियत) प्रधान मखिल एच.ए.जी. वेतनमान -67000 रु. (बार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रू. पो.बो.~4 + जो.पो. रू. 10000 आयुक्त/सचिव (वित्त) आयुक्त/सचिव (शिक्षा और पी.बी.-4 + जी.पी. ह. 10000 स्वासध्य)

पिजोरम सरकार के अंतर्गत पद

मुख्य सचिव 80000 र. (नियत) विकास आयुक्त एच.ए.जी. वेतनमान -67000 रु. (चार्षिक चेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 र. पी.ची.-4 + जी.पी. रू. 10000 आयुक्त और सचिव (वित्त) पी.बी.-4 + जी.पी. र. 10000 आयक्त और सचिष (राजस्व)

ची.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000 आयुक्त और सचिव (गृह) आयका और सचित्र (स्वास्थ्य पी.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000 और परिवार कल्याण) आयुक्त और सचिव (शिक्षा) पी.बी.-4 + जी.पी. क. 10000 अंडपान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पट सरकार के प्रधान सचित्र एच.ए.जी. वंतनमान 67000 रू. (वार्षिक वंतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 र.

विकास आयुक्त पी.बी.-4 + जी.पी. र. 10000 आयुक्त-सचिव (वित्त) पो.बी.-4 + जो.पी. रू. 10000

आयुक्त-सचिव (पोत एवं परिवहन) पी.बी.-4 + जी.पी. र. 10000 घण्डीगढ प्रशासन के अंतर्गत पट

प्रशासक के सलाहकार, चंडीगढ एच.ए.जी. वेतनमान 67000 र. (वार्षिक वंतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रू. **पी.बी.-4** + जी.पी. रू. 10000 सचिव (गृह) सचिव (वित) पी.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000 दमन, दीव एवं दादरा तथा नगर हवेली प्रशासन के अंतर्गत पद विकास आयुक्त पी.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000 वित्त सचिव पी.की.-4 + जी.पी. रू. 10000

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत पद

80000 र. (नियद)

वित सचिव 80000 ह. (नियत) प्रधान सचिव (गृह) एच.ए.जी. वंतनमान --67000 रु. (वार्षिक वेतनबुद्धि 3% की दर से) - 79000 र. प्रधान सचिव (वित्त) एच.ए.जी. बेतनमान -67000 रु. (वार्षिक वेतनदृद्धि 3% की दर में) - 79000 र. प्रधान सचिव (प्.डी.) एच.ए.जी. वेतनमान -67000 र. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और एच.ए.जी. बेतनमान -67000 र. (वार्षिक घेतनवृद्धि परिवार कल्याण)

प्रधान सचिव (पी.डब्ल्यु-डी./एल. एण्ड की.)

एच.ए.जी. वंतनमत्त -67000 र. (वार्षिक वंतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 र.

3% की दर में) - 79000 ह.

प्रधान सचिव (परिवहन)

सरकार कं मुख्य सचिव

67000 रू. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर सं) - 79000 ह.

एच.ए.जी. वेतनमान -

प्रधान सचिव (शिक्षा)

एच.ए.जी. वेतनमान -67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 क.

8	THE GAZETTE OF IND
अध्यक्ष, डी.एस.एस.एस.बी.	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 र. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 र.
एल. जी. के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (चार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से) - 79000 रु.
सी. एम. के प्रधान सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान - 67000 रु. (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% को दर से) - 79000 रु.
आयुक्त-सह-सचिव (पर्यावरण और वन तथा गैर परम्परागत कर्ज)	र्पा.बी4 + जी.पी. र. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (पर्यटन, संस्कृति, पुरातत्व और अकादमी)	पो.बी4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त और सचिव (विकास)	पो.बी4 + जो.पी. रु. 10000
आयुक्त और सचिव (उद्योग)	पी.बी4 + जी.पी. रू. 10000
आयुक्त और सचिव (खाद्य और आपूर्ति)	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त और सचिव (योजना और अवसंरचना)	पी.बी4 + जी. पी. रु. 10000
आयुक्त और सचिव (जल और संसाधन)	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000
प्रादेशिक आयुक्त	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000
निदेशक, सतर्कता	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000
निदेशक, शिक्षा	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त (व्यापार और कर)	पी.बी4 + जी.पी. र. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)	पी.चो4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (टी.टी.ई.)	पी.बो4 + जो.पी. रु. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (जी.ए.डी. और ए.आर.)	पी.की4 + जी.पी. रू. 10000
आयुक्त-सह-सचिव (सामाजिक कल्याण और महिला और बाल विकास)	पी.भी4 + जी .पी, रु. 10000
आयुक्त और सचिव (सेवा और	पी.बी4 + जी.पी. रू. 10000
प्रशिक्षण)	
आयुक्त (उत्पाद शुल्क और मनोरंजन) पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000
आयुक्त (अम)	पी.ची4 + जी.पी. रु. 10000
विशेष आयुक्त (परिवहन)	पी. यी4 + जी.पी. रु. 10000
विशेष आयुक्त (व्यापार और कर)	पी.बी4 + जी.पी. रू. 1000°
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पो.बी4 + जी.पी. रु. 10000
महानिरीक्षक, पंजीयन (राजस्य विकास)	पी.बी4 + जी.पी. रु. 10000
पंजीयक, सहकारी समिति	पी.थी4 + जी.पी. रु. 10000

पी.बी.-4 + जी.पी. र. 1000; N-निदेशक (प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा) निदेशक (उच्च शिक्षा) पी.बी.-4 + जी.पी. रू. 10000 सी.ई.ओ. (आफ्टा प्रबंधन) पी. बी. -4 + जी. पी. रू. 10000

सशद्वीप प्रशासन के अंतर्गत पद

विकास आयुक्त

पी.बी.-4 + जी.पी. र. 10000

पुदुच्चेरी सरकार के अंतर्गत पद

प्रधान सचिव

एच.ए.जी. वेतनमान -67000 (वार्षिक वेतनबृद्धि

3% की दर सं) - 79000 रु.

सचिव (योजना)-सह-विकास आयुक्त

पी.ची.-4 + जी.पी. रू. 10000

आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा और भी.बी.-4 + जो.भी. रू. 10000 कल्याण)

आयुक्त-सह-सचिव (विच)

पी.ची.-4 + जी.पी. रु. 10000

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वंतन वाले पदों की "अनुसूची II-भाग ख" में 'अरुणाचल प्रदेश-पिजोरम-गोवा-संघ राज्य क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाली प्रविच्छिं के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत पट

सचिव (उद्यांग) सचिव (आपूर्ति और परिवहन) सचिव (ग्रामीण विकास) मुख्य मंत्री के मचिव राज्यपाल के सचिव पंजीयक, सहकारी समिति निदेशक (परिवहन) निदंशक, नागरिक आपूर्ति निदेशक (शिक्षा) निदेशक (स्वास्थ्य संवा) स्थानिक आयुक्त उपायुक्त (जिला)

गांवा सरकार के अंतर्गत पद

राज्यपाल के सचिव भुख्य मंत्री के सचिव सरकार के सचिव आयुक्त (वैट) निदेशक (उद्योग और खान) कलेक्ट्र/जिला मजिस्ट्रेट आयुक्त, उत्पाद शुल्क निदेशक (शिक्षा)

निदेशक (पर्यटन)

स्थानिक आयुक्त

मिजोरम सरकार के अंतर्गत पद

सचिव

राज्यपाल के सचिव

मुख्य मंत्री के सचिव

पंजीयक, सहकारी समिति

विशेष सचिव

निदेशक (खाद्य और आपूर्ति)

निदेशक (उद्योग)

निदेशक (शिक्षा)

उपायुक्त (जिला)

स्थानिक आयुक्त

अंड्यान और निकोबार प्रशासन के

अंतर्गत पद

उप-राज्यपाल के सचिव

उपायुक्त (जिला)

सचिव (कार्मिक)

सचिव (पर्यटन)

सचिव (स्वास्थ्य)

सचिव (शिक्षा)

सचिव (आर.डी./एल.एस.जी. और

पी.डब्ल्यू डी.

स्थानिक आयुक्त

घंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत पद

उपायक्त (जिला)

संयुक्त सचिव (वित्त)

मचिव

अपर सचिव

अपर उपायुक्त

दमन, दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली

के अंतर्गत पद

कलंक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

(दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के

अंतर्गत पद

उपायुक्त (जिला)

निदेशक, प्रशिक्षण (चू.टी.सी.एस.)

निदेशक, सामाजिक कल्याण

निदेशक, कृषि विपणन

विशेष सचिव (वित्त)

958 0010-3

अपर निदेशक, शिक्षा (प्रशस्मन)

विशेष सचिव (योजना और निगरानी और आई.एस.एच.एस., स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण)

विशेष मचिव (सेवा)

विशेष मचिव (एन.सी.आर.)

विशेष सचिव (यू.डी.)

विशेष सचिव (पी. डब्ल्यू. डी.)

उप राज्यपाल के विशेष सचिव

निदेशक, महिला एवं बाल विकास

लक्षद्वीप सरकार के अंतर्गत पद

कलंक्टा-सह-जिला मजिस्ट्रेट

पुदुच्चेरी सरकार के अंतर्गत पद

सरकार के सचिव

स्थानिक आयुक्त

उप-राज्यपाल के सचिव

मुख्य मंत्री के सचिव

कलंक्टर

[सं. 11031/03/2009-अ.पा.से. 11-ख]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी: मुख्य नियम सं. सा.का.नि. 213(अ), दिनांक 20-3-2008 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए और बाद में सं. सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 19-9-2008, 123(अ), दिनांक 15-4-2009, सं. सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 21-7-2009, सं. सा.का.नि. 572(अ), दिनांक 13-8-2009, सं. सा.का.नि. 820, दिनांक 12-11-2009 और सं. सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 10-2-2010 द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2010

G.S.R. 191(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Governments of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and all Union Territories, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

- (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2010.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

10	THE GAZETTE OF INI	DIA: EXTRAORDINARY	PART II—SEC. 3	
2. In the Indian Administrat	ive Service (Pay) Rules,	Commissioner & Secretary (Revenue)	PB-4+GPRs. 10000	
above the senior so	t A" posts carrying pay ale of pay of the Indian cryice under the State	Commissioner & Secretary (Home)	PB-4+GPRs.10000	
Governments, in t	he Table, for the entry h-Goa-Mizoram-Union	Commissioner & Secretary (Health & Family Welfare)	PB-4+GPRs.10000	
corresponding entric	ig in the first column and is in the second column, be substituted namely:—	Commissioner & Secretary (Education)	PB-4+GPRs. 10000	
the following stien o	e substituted maniety.	Posts under Andaman & Nicobar Administration		
ARUNACHAL PRADESH-GO TERRITOR	HES	Chief Secretary to Government	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	
Posts under the State (Development Commissioner	PB-4+GPRs.10000	
Chief Secretary to Government	Rs. 80000 (fixed)	Commissioner-cum-Secretary (Finance)	PB-4+GPRs. 10000	
Development Commissioner	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	Commissioner-cum-Secretary (Shipping and Transport)	PB-4+GPRs. 10000	
Commissioner-cum-Secretary	PB-4+GPRs. 10000			
(PWD/RWD)		Posts under Chandigarh	Administration	
Commissioner-cum-Secretary (Finance)	PB-4+GPRs. 10000	Advisor to the Administrator, Chandigarh	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	
Commissioner-cum-Secretary (Home)	PB-4+GPRs. 10000	Secretary (Home)	PB-4+GPRs 10000	
Commissioner-cum-Secretary (Education)	PB-4+GPRs, 10000	Secretary (Finance)	PB-4+GPRs, 10000	
Commissioner-cum-Secretary (Power & Water Resources)	PB-4+GPRs. 10000	Posts under Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli Administration		
Commissioner-cum-Secretary (Personnel)	PB-4 +GPRs. 10000	Development Commissioner	PB-4+GPRs. 10000	
Commissioner-cum-Secretary (Health)	PB-4+GPRs. 10000	Finance Secretary	PB-4+GPRs. 10000	
Posts under the Gover	mmust of Gos	Posts under the Govern	ment of NCT of Delhi	
Chief Secretary	Rs. 80000 (fixed)	Chief Secretary to Government	Rs. 80000 (fixed)	
Principal Secretary	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	Financial Commissioner Principal Secretary (Home)	Rs 80000 (fixed) HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	
Commissioner/Secretary (Finance)	PB-4+GPRs. 10000	Principal Secretary (Finance)	HAG Scale-67000 (annual increment	
Commissioner/Secretary (Education & Health)	PB-4+GPRs.10000	Principal Secretary (UD)	@ 3%) -79000 HAG Scale-67000	
Posts under the Government	nent of Mizoram		(annual increment @ 3%)-79000	
Chief Socretary	Rs. 80000 (fixed)	Principal Secretary	HAG Scale-67000	
Development Commissioner	HAG Scale-67000 (annual increment	(Health & F. W.)	(annual increment @ 3%) -79000	
Commissioner & Secretary (Finance)	@ 3%)-79000 PB-4+GPRs. 10000	Principal Secretary (PWD/L&B)	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	

[भाग ॥-खण्ड ३(1)]	भारत का	राज्यत्र । असाधारण			
Principal Secretary (Transport)	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000	Special Commissioner (Trade & Taxes)	PB-4+GPRs. 10000		
Principal Secretary	HAG Scale-67000	Chief Electoral Officer	PB-4+GPRs 10000		
(Education)	(annual increment @ 3%)-79000	Inspector General of Registration (Revenue Department)	PB-4+GPRs.10000		
Chairman, DSSSB	HAG Scale-67000 (annual increment	Registrar Cooperative Societies	PB-4+GPRs. 10000		
Principal Secretary to LG	@ 3%) -79000 HAG Scale-67000	Director (Training & Technical Education)	PB-4+GPRs, 10000		
Transpar Secretary to 20	(annual increment @ 3%) -79000	Director (Higher Education) CEO (Disaster Management)	PB-4+GPRs. 10000 PB-4+GPRs. 10000		
Principal Secretary to CM	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%) -79000	Posts under Lakshadweep	Administration		
Commissioner-cum-Secretary	PB-4+GPRs. 10000	Development Commissioner	PB-4+GPRs. 10000		
(Environment and Forest and Non-conventional Energy)		Posts under the Governmen	nt of Puducherry		
Commissioner-cum-Secretary (Tourism, Culture, Archaeology and Academics)	PB-4+GPRs 10000	Chief Secretary	HAG Scale-67000 (annual increment @ 3%)-79000		
Commissioner & Secretary (Development)	PB-4+GPRs, 10000	Secretary (Planning)-cum- Development Commissioner	PB-4+GPRs 10000		
Commissioner & Secretary (Industries)	PB-4+GPRs. 10000	Commissioner-cum-Secretary (Education and Welfare)	PB-4+GPRs. 10000		
Commissioner & Secretary (Food & Supply)	PB-4+GPRs. 10000	Commissioner-cum-Secretary (Finance)	PB-4+GPRs. 10000		
Commissioner & Secretary (Planning & Infrastructure)	PB-4+GPRs 10000	(b) In "Schedule II—Part B" Posts carrying pay in senior scale of the Indian Administrative Service under State Governments including posts carrying special pa- addition to pay, for the entries occurring under 'Arunac			
Commissioner & Secretary (Water & Resources)	PB-4+GPRs 10000				
Divisional Commissioner Director, Vigilance	PB-4+GPRs, 10000 PB-4+GPRs, 10000	Pradesh-Mizoram-Goa-Union Ter shall be substituted, namely :—	ritories', the following		
Director of Education Commissioner (Trades and	PB-4+GPRs, 10000 PB-4+GPRs, 10000	Posts under the Government of	Arunachal Prudesh		
Taxes		Secretary (Industries)			
Commissioner-eum-Secretary (Health & FW)	PB-4+GPRs. 10000	Secretary (Supply & Transport)			
Commissioner-cum (cretary (TTE)	PB-4+GPRs. 10000	Secretary (Rural Development) Secretary to Chief Minister			
Commissioner-cum-Secretary	PB-4+GPRs. 10000	Secretary to Governor.			
(GAD & AR)		Registrar, Cooperative Societies			
Commissioner-cum-Secretary (Social Welfare and Women &	PB-4+GPRs, 10000	Director (Transport)			
Child Development	Pro 4 contractions	Director of Civit Supplies			
Commissioner (Excise & Entertainment)	PB-4+GPRs. 10000	Director (Education)			
Commissioner (Labour)	PB-4+GPRs, 10000	Director (Health Services)			
Special Commissioner (Transport)	PB-4+GPRs. 10000	Resident Commissioner			
		Deputy Commissioner (Districts)			

Posts under the Government of Goa

Secretary to Governor

Secretary to Chief Minister

Secretaries to Government

Commissioner (VAT)

Director of Industries and Mines

Collector/District Magistrate

Commissioner of Excise

Director (Education)

Director (Tourism)

Resident Commissioner

Posts under the Government of Mizoram

Secretaries

Secretary to Governor

Secretary to Chief Minister

Registrar, Cooperative Societies

Special Secretaries

Director (Food & Supply)

Director (Industries)

Director (Education)

Deputy Commissioners (Districts)

Resident Commissioner

Posts under Andaman & Nicobar Administration

Secretary to Lt. Governor

Deputy Commissioner (Districts)

Secretary (Personnel)

Secretary (Tourism)

Secretary (Health)

Secretary (Education)

Secretary (RD/LSG & PWD)

Resident Commissioner

Posts under Chandigarh Administration

Deputy Commissioner (Districts)

Joint Secretary (Finance)

Secretaries

Additional Secretary

Additional Deputy Commissioner

Posts under Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli Administration

Collector /District Magistrate

(Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli)

Posts under the Government of NCT of Delhi

Dy. Commissioner (Districts)

Director of Training (UTCS)

Director of Social Welfare

Director, Agricultural Marketing

Special Secretary (Finance)

Additional Director of Education (Admn.)

Special Secretary

(Planning & Monitoring and ISHM, Health & FW)

Special Secretary (Services)

Special Secretary (NCR)

Special Secretary (UD)

Special Secretary (PWD)

Special Secretary to Lt. Governor

Director, Women & Child Development

Posts under the Government of Lakshadweep

Collector-cum-District Magistrate

Posts under the Government of Puducherry

Secretaries to Government

Resident Commissioner

Secretary to Lt. Governor

Secretary to Chief Minister

Collectors

[No. 11031/13/2009-AIS-II (B)]

HARISH CHANDRA RAI, Desk Officer

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. G.S.R. 213(E) dated the 20-03-2008 and subsequently were amended vide No. G.S.R. 665(E) dated 19-09-2008, 123(E) dated 15-04-2009, No. G.S.R. 542(E) dated 21-07-2009, No. G.S.R. 572(E) dated 13-08-2009, No. G.S.R. 820 dated 12-11-2009 and No. G.S.R. 72 (E) dated 10-02-2010.